

क्रमांक / आर्स / न्याय / 2018 /

दिनांक .06.2018

आदेश

श्री बीरम लाल पुत्र श्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी मांडवी रोड, नई कालोनी, भवानीमंडी ने इस कार्यालय में .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लायसेंस चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक की आपराधिक एवं चरित्र सत्यापन रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक झालावाड़ द्वारा पत्रांक 5507 दिनांक 23.06.2018 से अवगत कराया कि आवेदक द्वारा लाईसेंस लेने का कारण आत्मरक्षा बताया गया है, परन्तु आवेदक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उसकी जान माल की सुरक्षा को खतरा होना प्रतीत होता हो। लाईसेंस लेने का उचित आधार नहीं होने से लायसेंस दिया जाना उचित नहीं बताते हुए असहमति रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अतः पुलिस अधीक्षक झालावाड़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का .32 बोर रिवाल्वर शस्त्र का लाईसेंस चाहने का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(डा० जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड़

दिनांक १४ .06.2018

क्रमांक / आर्स / न्याय / 2018 / ५६५७-५८

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस अधीक्षक झालावाड़
2. आवेदक श्री बीरम लाल पुत्र श्री रामलाल जाति मेघवाल निवासी मांडवी रोड, नई कालोनी, भवानीमंडी

अति० जिला मजिस्ट्रेट

झालावाड़

